रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
''वित्त भवन'' जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बरः–0141–2740735 फैक्स नम्बरः– 0141–2742309)

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) परीक्षा–2011/अलेसे–।।/ 19107–19115 दिनांकः–13फरवरी 2014

श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री डालचन्द,
कनि0 लेखाकार, कोष कार्यालय,
भरतपुर –321001

विषयः–नवचयनित लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने के सम्बन्ध में नोटिस एवं अभ्यावेदन निस्तारण।
प्रसंगः– निदेशालय का आदेश संख्या 241/2013–14 दिनांक 23.09.2013 एवं 18.11.2013 तथा आपका पत्र दिनांक 30.09.2013 एवं 22.11.2013

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार (संयुक्त प्रतियोगी) सीधी भर्ती परीक्षा 2011 में चयन होने के पश्चात् आदेश संख्या 241/2013–14 दिनांक 23.09.2013 द्वारा नियुक्ति आदेश जारी कर दिनांक 30.09.2013 तक कार्यग्रहण करने के लिए निर्देशित किया गया था। आपके द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने पर पुनः विभाग द्वारा दिनांक 18.11.2013 को नोटिस जारी कर दिनांक 25.11.2013 तक उपकोष रेलमगरा जिला राजसमन्द में कार्यग्रहण करने के लिए निर्देशित किया था परन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है।

आपके द्वारा दिनांक 22.11.2013 को परिवेदना प्रस्तुत कर कार्यग्रहण करने के लिए 06 माह का समय चाहा गया है। इस क्रम में उल्लेखनीय है कि नई नियुक्ति पर कार्यग्रहण अवधि में वृद्धि के प्रावधान कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.01.1996 एवं 18.10.1997 में स्पष्ट किए गए हैं। आपका प्रकरण उक्त परिपत्रों के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः आपकी कार्यग्रहण अवधि में 06 माह का समय दिया जाना युक्तियुक्त नहीं है।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.01.1996 के अनुसार ''लोकहित'' में यदि आवश्यक हो तो कार्यग्रहण अवधि में मूल नियुक्ति तिथि से 06 माह तक वृद्धि की जा सकती है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.10.1997 के अनुसार चिकित्सा आधार पर यदि अंतरंग रोगी (Indoor Patient) के रूप में इलाज चल रहा हो तो कार्यग्रहण अवधि में वृद्धि का प्रकरण कार्मिक विभाग को प्रेषित किया जाना होता है। आपके प्रकरण मे कार्यग्रहण अवधि में वृद्धि के लिए क्या ''लोकहित'' अन्तर्निहित है स्पष्ट नहीं हैं क्योंकि आपके द्वारा कोई लोकहित होना तथ्यात्मक रूप से अथवा अन्यथा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त आप गम्भीर बीमारी से ग्रसित होकर अंतरंग रोगी के रूप में इलाज भी नहीं करवा रहे हैं। अतः आपके कार्यग्रहण अवधि में 06 माह वृद्धि करने के अभ्यावेदन पर विचार किया जाना नियम संगत नहीं है।

आपके द्वारा अपने अभ्यावेदन में लिखा गया है कि आपको 18 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 07.03.2014 से दिऐ जाने का आश्वासन दिए जाने पर ही आपके द्वारा नव चयनित लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण किया जाएगा। इस क्रम में वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थी की शर्तों पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। लेखाकार के पद पर आवेदन करने से पूर्व आपको सेवा शर्तों पर पूर्ण विचार करना चाहिए था तत्पश्चात् आवेदन कर परीक्षा में सम्मिलित होना चाहिए था। आपके द्वारा जब उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया था तब उक्त शर्तें अपने विभाग के समक्ष रखकर अनापत्ति प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन नहीं किया था। यदि आपके द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र की मांग की जाती तो विभाग द्वारा आपको सशर्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाता। क्योंकि पूर्व की सेवा के लाभ–हानि नवीन चयनित सेवा की सेवा शर्तों के भाग नहीं है। अतः आपके अभ्यावेदन को अस्वीकार कर आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 24.02.2014 तक आवश्यक रूप से उपकोष कार्यालय रेलमगरा जिला राजसमन्द में कार्यग्रहण करें। दिनांक 24.02.2014 तक आपके द्वारा उपकोष कार्यालय रेलमगरा जिला राजसमन्द में लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण नहीं करने पर आपके लेखाकार पद पर किए गए नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाऐगें।

निदेशक

दिनांकः–13फरवरी 2014

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) परीक्षा–2011/अलेसे–।।/19107-19115

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय भरतपुर।
4. उपकोषाधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमन्द को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अभ्यार्थी द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थिति देते समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उपस्थिति स्वीकार की जावे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
7. गोपनीय शाखा।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

(के. एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)